फा. सं. 26/1/2012-पीपीडी

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

व्यय विभाग

नई दिल्ली, 01 अक्तूबर, 2013

कार्यालय ज्ञापन

विषय: सूचना प्रौद्योगिकी उत्पादों के प्रापण से संबंधित संविदाओं में विनिमय दर अंतर खंड को शामिल किया जाना।

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ कि हाल ही में भारतीय रुपए के मूल्य में आई गिरावट की पृष्ठभूमि में, आईटी हार्डवेयर उद्योग से कंप्यूटरों, टेबलेट, लैपटॉप, प्रिन्टरों आदि जैसे उत्पादों जिनका काफी मात्रा में आयात होता है, और इसलिए भारतीय रुपए के मूल्य में गिरावट से प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुए हैं, के लिए सरकारी संविदाओं में विनिमय दर अंतर खंड को शामिल किए जाने के लिए अनेक अभ्यावदेन प्राप्त हुए हैं।

2. इस संदर्भ में, सरकार की सभी प्रापण इकाईयों का ध्यान माल के क्रय के लिए नीतियों एवं प्रक्रियाओं की नियम-पुस्तक की ओर आकृष्ट किया जाता है जिसके पैरा 9.3.4 में संविदा के ऐसे मामलों के लिए विनिमय दर अंतर खंड शामिल किए जाने का प्रावधान है जिनमें काफी आयात घटक शामिल होता है और जिनकी डिलीवरी अवधि लंबी (संविदा की तारीख से एक वर्ष से अधिक) है। ऐसे मामलों में, प्रापण संगठन अपने वित्त स्कंध के परामर्श से आवश्यकता अनुसार उपयुक्त विदेशी मुद्रा अंतर खंड तैयार कर सकता है और उसे निविदा पूछताछ दस्तावेज में शामिल कर सकता है।

3. विनिमय दर अंतर खंड की सही संरचना सुनिश्चित करने के लिए उचित सावधानी बरती जाए और इसमें कोई अस्पष्टता न हो। सहमत मूल्य में विनिमय दर के आधार स्तर अर्थात् उस माह और वर्ष जिससे मूल्य का संबंध है का उल्लेख किया जाना चाहिए ताकि उस माह और वर्ष में प्रचलित दर के संदर्भ में अंतर की गणना की जा सके। इस खंड में आधार स्तर और नियत डिलीवरी तारीख के बीच दर में आए अंतर की गणना का फार्मूला शामिल किया जाए। सरकार द्वारा समय-समय पर प्रकाशित सूचकांकों का उपयोग करके अंतर की गणना की जानी चाहिए। निविदादाताओं को आयात घटक और अपने कुछ उद्धत मूल्य में जो भारतीय रुपए में होगा आयात घटक के मूल्य की गणना के लिए प्रयुक्त मुद्राओं का साफ तौर पर उल्लेख करना चाहिए।

4. प्रापण इकाई को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि विनिमय दर अंतर खंड के संभावित वित्तीय निहितार्थ का आकलन किया जाए और सूचना प्रौद्योगिकी प्रापण अंशांकित किए जाएं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे जरूरत-आधारित हैं और वे उपलब्ध बजट के भीतर ही रहें। इसके कारण अतिरिक्त निधियों के आबंटन के अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।

5. सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि वे सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु इन संशोधनों को अपने संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों की जानकारी में लाएं।

विखार

(विनायक टी. लिखार)

अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों के सचिव।
2. महालेखा नियंत्रक।
3. भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों के वित्त सलाहकार।
4. नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सामान्य संख्या में अतिरिक्त प्रतियों सहित) और सचिव, संघ लोक सेवा आयोग आदि को मानक पृष्ठांकन सूची के अनुसार प्रतिलिपि प्रेषित।

विखार

(विनायक टी. लिखार)

अवर सचिव, भारत सरकार